

(देखिये नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास
खण्ड भटवाड़ी में भल्लियाणा लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर सिल्याण निराकोट मोटर
मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 2.125 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (4.025 किमी०)

1. क) अपेक्षित वन भूमि के प्रस्ताव -

मा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत

/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त हेतु

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वनभूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

- संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत

- 100.80लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने

- जसपुर सिल्याण निराकोट के ग्रामवासियों की
यातायात की हेतु सड़क निर्माण करने के लिए
वन भूमि अधिग्रहण करने के अलावा दूसरा कोई
विकल्प नहीं है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)

- आवश्यकता नहीं है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
सम्भावना है।

- लगभग 9000 मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

- इस मोटर मार्ग में 2.125 है० वन भूमि
निर्माण में मैं प्रयोग की जायेगी।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण यदि कोई है

- उक्त निर्माण कार्य से कोई भी
परिवार प्रभावित नहीं होगा।

क) परिवारों की संख्या

-

नहीं है

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के

-

नहीं है

परिवारों की संख्या

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)

-

नहीं है

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

-

हाँ

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुसूचण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयारी की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की बचनवद्धता
(बचनवद्धता संलग्न की जाये) — संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। — संलग्न है।

दिनांक 22-7-2020

स्थान - उत्तरकाशी



अधिशाली अभियन्ता
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,
भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)